<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u> थाना-गम्भीरपुर

जबरन दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.06.2021 को थाना क्षेत्र गम्भीरपुर निवासिनी ने थाना गम्भीरपुर पर शिकायत दर्ज करायी कि पिछले वर्ष माह नवम्बर में मै घर पर अकेली सो रही थी मुझे घर में अकेला पाकर करन पुत्र निरंजन निवासी ग्राम उमरी श्री थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ मेरे घर में घुसकर मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया तथा उसी समय अश्लील वीडियो भी बना लिया तभी से शादी करने का दबाव बनाने लगा शादी करने से मना करने पर मेरा वीडियो वायरल कर दिया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 114/21 धारा 376,452 भादवि न 67 क आईटी एक्ट बनाम करन पुत्र निरंजन निवासी उमरी श्री थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भी की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह अपराध नियंत्रण एवं महिलाओं के उपर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गम्भीरपुर ज्ञानू प्रिया मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/21 धारा 376,452 भादवि व 67 क आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त करन पुत्र निरंजन सा0 उमरी श्री थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को उनके घर ग्राम उमरी श्री से आज दिनाक 10.06.2021 को समय 06.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 114/21 धारा 376,452 भादवि व 67 क आईटी एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

करन पुत्र निरंजन सा० उमरी श्री थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्र0नि0 ज्ञानू प्रिया मय हमराह का 0 सन्तोष कुमार मिश्रा , का0 बैजनाथ सरोज व म 0का0 स्वप्निल सक्सेना थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ।

थाना- अहरौला

जानलेवा हमले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.10.2020 को समय 7.00 बजे दरवाजा खोलने से मना करने की बात को लेकर वादी मुकदमा तिरथू पुत्र झिनकू निवासी ग्राम मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को अभियुक्तगण पुतुल पुत्र झिनकू, राहुल पुत्र पुतुल, मुन्ना पुत्र तिरथ, व आकाश पुत्र तीरथ निवासीगण ग्राम मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा तिरथू पुत्र झिनकू उपरोक्त को जान मारने की नियत से लाठी डण्डा ईट पत्थर से मारना पीटना तथा हाथ मे लिये कट्टे से फायर कर देने की बावत मु0अ0सं0 154/2020 धारा 323/307/427/504/506 भा0द0वि0 थाना स्थानीय पर पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना उ0िन0 रामकृपाल सोनकर द्वारा की जा रही है। दौरान विवेचना 03 नफर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी एक अभियुक्त राहुल पुत्र पुतुल निवासी ग्राम मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी शेष है। गिरफ्तारी के लगातार प्रयास जारी है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के निर्देश में व थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 रामकृपाल सोनकर मय हमराही पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 154/2020 धारा 323/307/427/504/506 भा0द0वि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त आकाश विश्वकर्मा पुत्र तिरथ विश्वकर्मा सा 0 मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 10.06.2021 को समय करीब 06.45 बजे ग्राम मोलनापुर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

मु0अ0सं0 154/2020 धारा 323/307/427/504/506 भादवि थाना अहरौला आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

आकाश विश्वकर्मा पुत्र तिरथ विश्वकर्मा सा0 मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रामकृपाल सोनकर मय हमराही पुलिस बल

थाना सरायमीर

गैगेस्टर एक्ट के 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान चोर, लूटेरे, वाँछित अपराधी व गोवध से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 10.06.2021 को थाना स्थानीय मु0अ0सं0 0059/2021 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण 1. महताब आलम पुत्र आफाक निवासी तोवा थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ को उसके ससुराल ग्राम शेरवा समय करीब 06.10 बजे व 2. आमिर पुत्र नेसार अहमद निवासी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ हाल पता पुनापोखर थाना सरायमीर आजमगढ़ को उसके हाल पता पुनापोखर से समय करीब 06.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

- 1. महताब आलम पुत्र आफाक निवासी तोवा थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़।
- 2. आमिर पुत्र नेसार अहमद निवासी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ हाल पता पुनापोखर थाना सरायमीर आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

महताब आलम पुत्र आफाक उपरोक्त -

- 1. मु0अ0सं0 59/21 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 2. मु0अ0सं0 45/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजगमगढ़।
- 3. मु0अ0सं0 144/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2. आमिर पुत्र नेसार अहमद उपरोक्त-

- 1. मु0अ0सं0 59/21 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
- 2. मु0अ0सं0 45/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजगमगढ़।
- 3. मु0अ0सं0 48/20 धारा 411/413/414/419/420/467/468/471/474 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1. प्र0 नि0 अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 2. हे0का0 विहंगल यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 3. का० ऋषभ शुक्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 4. रि0का0 शुधांशु सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार

एक अदद 315 बोर तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

विरष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक:10.06.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में थानाध्यक्ष मय हमराह थाना रौनापार द्वारा त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जिरये मुखबिर खास की सूचना पर बघावर तिराहा ग्राम बघावर से समय करीब 08.35 बजे एक नफर अभियुक्त सत्यम गोड पुत्र महेन्द्र गोड सा0 चन्दापार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक अदद 315 बोर तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त सत्यम गोड पुत्र महेन्द्र गोड सा० चन्दापार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद कट्टा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 98/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. SO तारकेश्वर राय थानाध्यक्ष रौनापार जनपद आजमगढ़
- 2. हे0का0 कृपा शंकर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 3. का० कीर्ती कुमार सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 4. का0 अरुण कुमार जायसवाल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

गोवध के 02 नफर वाछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र , उ0नि0 विजय नराजय त्रिपाठी , उ0नि0 विजय प्रताप सिंह , उ0नि0 रामप्रकाश सिंह मय हमराहीगण द्वारा इस्तेयाज पुत्र स्व0 शमसुलहक ग्राम कस्बा जहानागंज चौक बागीचा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के घर से तीन कुन्तल गो माँस व 01 अदद तराजू , बाट 01 किलो के 02 अदद , 02 किलो के 02 अदद , 500 ग्राम का 01 अदद , चाकू -03 अदद , दाव- 02 अदद , कुल्हाड़ी -01 , लकड़ी का ठेहा - 01 अदद , माँस रखने व बेचने के लिए काली पालिथीन बरामद कर बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/5/8(1) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम बनाम 1. इस्तेयाज पुत्र स्व0 शमसुलहक 2. बदरुद्दीन उर्फ झिनक पुत्र स्व0 शमसुलहक 3. मन्नू पुत्र स्व0 शमसुलहक 4. अरशद पुत्र स्व0 शमसुलहक 5. कमरूद्दीन पुत्र स्व0 शमसुलहक ग्राम कस्बा जहानागंज चौक बागीचा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 4-5 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय द्वारा प्रचलित है।

आज दिनांक 10.06.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में मु030सं0 126/21 धारा 3/5/8(1) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना जहानांगज के वाछिंत अभियुक्तगण 1. इस्तेयाज कुरेशी पुत्र शमसुलहक कुरेशी निवास बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानांगंज जनपद आजमगढ 2. बदरुद्दीन उर्फ झिनक पुत्र समसुलहक कुरेशी निवासगण बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानांगंज जनपद आजमगढ को साई ढाबा पेट्रोल पम्मके पास से समय करीब 01.55 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः- अभियुक्तगण पुछने पर अपने किये पर पर बार बार माफी माँगते हुए जुर्म स्वीकार कर बता रहे हैं कि साहब हमलोग गाय को काट कर उसके माँस की ब्रिकी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है गाय का मांस बेचने मे ज्यादा मुनाफा होता है काफी दिनों से गाय काटने का व्यापार चल रहा था भीर में हमलोग गाय को बाहर से लाकर घर के अन्दर कमरें के अन्दर एक दिन पहले रख लेते हैं । जिससे किसी को पता नहीं चलता है माँस को हम लोग अपने जानने पहचानने वालों लोगों को ही बेचते हैं जिससे किसी को जानकारी नहीं होती है जब पुलिस का अवागमन बन्द हो जाता है तो रात में गाय को काटते हैं फिर बोटी बनाकर काली पन्नी में एक किलों, आधा किलों, दो किलों, ढाई किलों पैक कर देते है उसके बाद जान पहचान वालों को ही बिक्री करते हैं तथा कुछ मांस को कस्बे में तथा बाहर मोटरसाइकिलों से दुर के बाजारों में अपने परिचित के लड़कों को लगाकर बेचते हैं। इसी से हमारे खानदान तथा लगे लड़कों का परिवार चलता है। दिनांक 06.06.2021 को रात में हम लोग गाय को काट कर मांस को पैक कर रहे थे तभी पुलिस का छापा पड़ गया, हमलोग छत से कुद कर भाग गये कहते हुए जुर्म स्वीकार कर रहे है

पंजीकृत अभियोगः

मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/5/8(1) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1. इम्तेयाज कुरेशी पुत्र शमसुलहक कुरेशी निवास बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 2.बदरुद्दीन उर्फ झिनक पुत्र समसुलहक कुरैशी निवासगण बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

- 1- प्र0नि0 अखिलेश कुमार मिश्र
- 2- उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय
- 3- का0 विनय कुमार
- 4- का० विपिन कुमार पाण्डेय
- 5- का० अऱविन्द कुमार
- 6- म0का0 रागिनी सिंह

थाना मुबारकपुर

01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.06.2021 को वादी मुकदमा गनेश यादव पुत्र स्व0 झुरी यादव निवासी नूरपूर सरायहाजी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि दिनांक 09/06/21 समय लगभग 17.30 बजे सायं को पास में लगी सब्जी के खेत में पड़ोसी रामसमूझ यादव की गाय आकर खाने लगी कि मेरा लड़का अमन यादव गाय को हटाने के लिए गया। गाय को हाँक ही रहा था कि अरुण यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी नूरपूर सरायहाजी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ आकर अमन से उलझ गया और मेरी पत्नी शान्ति देवी बचाने के लिए आगे बढी तो अरुण ने शान्ति देवी का गला पकड़कर धक्का मार दिया जिससे वह गिरकर बेहोश हो गयी बेहोशी के हालत में अस्पताल डा0 सी यादव के यहाँ ले जाते समय मृत्यु हो जाने की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 123/21 धारा 304 भादवि पंजीकृत है।

आज दिनांक 10.06.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मु.अ.सं.123/21 धारा – 304 भादवि पंजीकृत से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त अरुण यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी नुरपुर सरायहाजी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को काली मन्दिर नुरपुर सरायहाजी से समय 12.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग_

मु0अ0सं0 123/21 धारा – 304 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

अरुण यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी नुरपुर सरायहाजी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़ का0 अजय कुमार थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़ का0 आशीष यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़ *नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 21 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।*